Forest Department
Uttarakhand

E-TENDER DOCUMENT
FOR

गढवाल मण्डल के अन्तर्गत वानिकी कार्य लीसा फसल वर्ष–2023 के लिए खाली टिनों की आपूर्ति करना

In

Garhwal Mandal

Uttarakhand

Conservator of Forest
Bhagirathi Circle,
Munikireti

निविदा सम्बन्धी विवरण

कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	धरोहर राशि	निविदा मूल्य
गढवाल मण्डल के अन्तर्गत वानिकी कार्य लीसा फसल वर्ष–2023 के लिए खाली टिनों हेतु आपूर्ति करना।	60 दिन	4,96,974.00	1500+18 % GST

-: Key Dates :-

S.No.	Activity	Date	Time
1	Date of online publication	18.02.2023	01:00 PM
2	Bid document download start date	18.02.2023	01:30 PM
3	Bid submission start date	19.02.2023	01:30 PM
4	Bid submission end date	06.03.2023	05:00 PM
5	Bid opening date	07.03.2023	12:00 PM

कार्य का विवरण

गढवाल मण्डल के अन्तर्गत 10 वन प्रभागों में वानिकी कार्य लीसा फसल वर्ष–2023 के लिए खाली टिनों हेतु आपूर्ति किया जाना है :–

पैकेज संख्या	वन प्रभाग का नाम	आपूर्ति किये जाने वाले खाली टिनों की अनुमानित संख्या	स्थान/डिपो जहां खाली टिनों की आपूर्ति की जायेगी	ऋषिकेश से दूरी (कि0मी0 लगभग)
1	2	3	4	5
1	टिहरी वन प्रभाग नं0–01376–232077	34000	1– भैंसवाड़ा लीसा डिपो 2– पौखार डिपो 3– पांवली डिपो 4– घोंटी डिपो 5– पौखाल डिपो 6– पिलवा डिपो 7– गजा डिपो 8– चापड़ा डिपो 9– कौडिया डिपो 10– लोहीताल (रानीचौरी) डिपो 11– प्रतापनगर डिपो	140 किमी0 150 किमी0 145 किमी0 100 किमी0 100 किमी0 155 किमी0 70 किमी0 155 किमी0 95 किमी0 80 किमी0 115 किमी0
2	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग 0135–2442052	37366	1– डांगचौरा डिपो (कीर्तिनगर) 11754 खाली टिन 2– मरोडागाड/सेरा डिपो 3882 खाली टिन 3– मरोडा/मठियाणगांव 1104 खाली टिन 4– बेमुण्डा डिपो 5028 खाली टिन 5– तमियार डिपो 7140 खाली टिन 6– ऋषिकेश डिपो 4000 खाली टिन 7– ज्वारना डिपो 4518 खाली टिन	115 किमी0 95 किमी0 95 किमी0 45 किमी0 60 किमी0 0 किमी0 85 किमी0
3	उत्तरकाशी वन प्रभाग टेलीफोन नं0–01374–222444	42000	1– घंडियालधार् डिपो 6000 खाली टिन 2– गणेशपुर् डिपो – 7000 खाली टिन 3– नौलियासौड डिपो 16000 खाली टिन **4–** नाकुरी डिपो 1000 खाली टिन 5– दिवारीखोल डिपो 5000 खाली टिन 6– चिन्यालीसौड डिपो 7000 खाली टिन	185 किमी0 188 किमी0 160 किमी0 169 किमी0 170 किमी0 140 किमी0
4	बद्रीनाथ वन प्रभाग टेलीफोन नं0–01372–252175	100100	1– राडीबगड़ डिपो – 48400 खाली टिन 2– आमसौड़ डिपो – 17600 खाली टिन 3– सोनला डिपो – 34100 खाली टिन	280 किमी0 195 किमी0 185 किमी0
6	अपर यमुना वन प्रभाग टेलीफोन नं0–01375–224233	27000	1– सौली 9000 खाली टिन 2– सरूखेत 18000 खाली टिन	175 किमी0 185 किमी0
7	गढ़वाल वन प्रभाग टेलीफोन नं0– 01368–222215	15890	1– लिस्टियाखेत 3360 खाली टिन 2– जिंवई 4578 खाली टिन 3– दमदेवल 1674 खाली टिन 4– संगलाकोटी 3750 खाली टिन 5– पैठाणी 2028 खाली टिन 6– लीसा डिपो, कोटद्वार 500 खाली टिन	206 किमी0 196 किमी0 100 किमी0 139 किमी0 154 किमी0 100 किमी0
8	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर टेलीफोन नं0–0137–2252498	10540	1– मासौं डिपो 3201 खाली टिन 2– लोहवा (गैरसैड) डिपो 7339 खाली टिन	195 किमी0 230 किमी0

9	टौन्स वन प्रभाग, पुरोला टेलीफोन नं0–0137–2252498	60000	1– हुडोली डिपो 4806 खाली टिन 2– पुरोला डिपो . 9594 खाली टिन 3– सुकराला डिपो 5544 खाली टिन 4– मोरी डिपो 14310 खाली टिन 5– सान्द्रा डिपो 16920 खाली टिन 6– खुनीगाड़ डिपो 4680 खाली टिन 7– पन्द्राणू डिपो 1620 खाली टिन 8– टौंस वन प्रभाग 2526 खाली टिन	190 किमी0 195 किमी0 210 किमी0 235 किमी0 240 किमी0 245 किमी0 300 किमी0
10	चकराता वन प्रभाग टेलीफोन नं0–0137–2252498	13500	1– दारागाड़ डिपो 3000 खाली टिन 2– चातरा डिपो 6000 खाली टिन 3– त्यूनी डिपो 3500 खाली टिन 4– गढसार डिपो 1000 खाली टिन	250 किमी0 240 किमी0 235 किमी0 160 किमी0
कुल योगः– लीसा फसल वर्ष 2023 की कुल मांग		**340396**		

EMPTY TINS SPECIFICATION

कय की जाने वाली सामग्री का नाम	**सामग्री की विशिष्टता एवं मानक**
खाने का तेल, घी या मिट्टी तेल के खाली टिन	1- **खाली टिन का माप :–** 320 ×228×228 millimetre 2- **टिन के पूर्व उपयोग की स्थिति :–** टिन पूर्व में केवल एक बार उपयोग किया गया हो। 3- **टिन के ऊपरी भाग की स्थिति की विशिष्टता :–** **3.1** खाली टिन के ऊपरी भाग पर 05 सेमी0 व्यास का एक छेद हो जिसके चारों तरफ दुबारा सील लगाने के निशान न हो। **3.2** टिन को उठाने के लिए कुण्डा/हैण्डिल लगा हो। 4- **टिन से लीकेज नहीं होने की विशिष्टता :–** खाली टिन में ऊपरी भाग पर एक छेद को छोड़कर अन्य कोई छेद या लीकेज नहीं होनी चाहिए। 5- **टिन पर एनोडायजिंग/पालिश की स्थिति :–** टिन में जंग नहीं लगा होना चाहिए। 6- **टिन में लीसा भर लेने की क्षमता :–** टिन पिचका हुआ नहीं हो। 7. **टिन की अंदरूनी एवं बाहरी सतह की सफाई की स्थिति :–** संबंधित वन प्रभाग/डिपो की संतुष्टि के अनुरूप तथा अन्दर व बाहर से भली प्रकार साफ किया गया हो।

ई–निविदा हेतु निविदादाताओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं शर्तें

गढवाल मण्डल के अन्तर्गत वानिकी कार्य लीसा फसल के लिए खाली टिनों की आपूर्ति करने हेतु निविदादाताओं से निविदा ई–निविदा के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।

ई–निविदा भेजने से पूर्व निविदादाता निम्न शर्तों को ध्यान में रखकर निविदा दें। किसी भी एक या एक से अधिक शर्त का पालन न करने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदा निरस्त समझी जायेगी।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) नियमावली 2017 की पैरा–13(2) में निर्दिष्ट दो निविदाओं वाली प्रणाली के अनुसार तकनीकी निविदायें एवं वित्तीय निविदायें अलग–अलग लिफाफों में मोहर बन्द कर तथा दोनों लिफाफों में सम्यक रूप से लिफाफों के ऊपर तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा लिखकर एक बडे मोहर बन्द और सम्यक रूप से अंकित एक बडे लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरों में ''खाली टिन आपूर्ति हेतु निविदा गढवाल मण्डल का टेण्डर'' लिखा होना चाहिए तथा केवल सील बन्द पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कोरियर डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी, अन्य किसी माध्यम से भेजी गयी निविदाये स्वीकार नहीं की जायेंगी।

1. ई–निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख/दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है –

क्रम सं0	अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज	क्रम सं0	अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज
1	*निविदा शुल्क व जी0एस0टी0 के दो पृथक्–पृथक् डिमांड बैंक ड्रॉफ्ट (रू0 1500/– एवं रू0 270/–)	7	पॉवर ऑफ अटार्नी (यदि लागू हो)
2	*धरोहर धनराशि (EMD) (रू0 4,96,974/–)	8	आधार कार्ड की प्रति
3	वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र (निर्दिष्ट संविदा मूल्य के अनुरूप वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र) एवं कार्यपूर्ण होने तक हैसियत प्रमाण पत्र में वर्णित सम्पति आदि को न बेचेगा और न गिरवी रखेगाा का शपथ पत्र (10 रू0 के स्टाम्प में नोटराईज्ड किया हुआ)	9	पैन कार्ड की प्रति
4	निविदा की वैधता हेतु अन्डरटेकिंग, जो 100.00 रू मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 1.00 रू0 के रैवेन्यू स्टाम्प पर निविदादाता के हस्ताक्षर सहित 60 दिन वैधता इंगित करते हुए प्रमाण पत्र।	10	जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र
5	उद्योग विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र	11	निविदादाता को इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र कि ''केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा निविदा प्रक्रिया में ब्लेक लिस्ट न किया गया हो'' रू0–10 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
6	पार्टनरशिप डीड (यदि लागू हो)	12	**निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण ई–निविदा दस्तावेज प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अन्डरटेकिंग फार्म हस्ताक्षरित अपलोड किया जाना अनिवार्य है।**
13	तकनीकी बिड फार्म प्रोफार्मा हस्ताक्षरित		
नोट :– उपरोक्त तारांकित दस्तावेजों के सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण नीचे अंकित किया गया है। तकनीकी बिड मे योग्य (क्वालीफाईड) निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड (फाइनेन्सियल बिड) खोली जायेगी।			

I. निविदा शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) की दो पृथक–पृथक (रू0 1500/– एवं रू0 270/– के) डिमांड ड्रॉफ्ट **''प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड''** के पक्ष में एवं **Payble at Rishikesh** होना अनिवार्य होगा।

II. उक्त कार्य हेतु धरोहर धनराशि रू0 117709/– का राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक की एफ0डी0आर0 जो कि किसी अधिसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत होगी, **''प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड''** के पक्ष में तैयार कर तकनीकी बिड के साथ **Upload** किया जाना अनिवार्य है।

नोट– निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा मे संलग्न सामग्री के विवरण (Specification) का भली–भांति अवलोकन कर विस्तृत आंकलन प्रस्ताव के रूप मे तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करेंगे।

2. **ई–निविदा में वित्तीय बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख/दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है –**

I. ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप **BOQ (Bill of quantity)** पर निविदा धनराशि (वित्तीय बिड) का विवरण **MS EXCEL SHEET** में अंको एवं शब्दों में अंकित करना अनिवार्य होगा।

II. **यदि वित्तीय बिड से सम्बन्धित कोई दस्तावेज तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे निविदा को निरस्त माना जायेगा।**

III. निविदा मे स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि निविदादाता/फर्म के द्वारा सामग्री का मूल्य मय ढुलान प्रति खाली टिन/प्रति रूपये है।

IV. खाली टिनों की दरें सम्बन्धित क्षेत्र तक ढुलान मय लोडिंग–अनलोडिंग सहित किया जायेगा।

3. निविदादाता की फर्म का टर्न ओवर 03 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
4. आपूर्ति आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर 50% व अगले 30 दिनों के भीतर 50% सम्बन्धित स्थलों में सामग्री आपूर्ति की जानी आवश्यक होगी।
5. सामग्री की मांग/आपूर्ति में वृद्धि एवं कमी हो सकती है। सामग्री की वास्तविक मात्रा कार्यादेश में दर्ज मात्रा से घट व बढ सकती है।
6. ई–निविदा मे प्रतिभाग करने पर वेबसाइट मे तकनीकी खराबी आदि से होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। यदि निर्धारित तिथि को सर्वर/इन्टरनेट कनेक्सन मे खराबी एवं सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण निविदा नहीं खोली गयी तो निविदा अगले कार्यदिवस मे खोली जायेगी।
7. निविदादाता अथवा निविदादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को निविदा खोलते समय उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।
8. दो या दो से अधिक निविदादाताओं से समान धनराशि (H1) के वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त होने पर निविदा समिति द्वारा खुली बोली/लॉटरी (पर्ची) के माध्यम से सफल निविदादाता का चुनाव किया जायेगा, जो सभी पक्षों को मान्य होगा।
9. निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा के क्रम में सामग्री विवरण एवं उससे संबंधित समस्त शर्तों/नियमों का भली–भांती अध्ययन कर लें। उक्त शर्तो का किसी भी कार्यदिवस पर वन संरक्षक कार्यालय, मुनिकीरेती मे अवलोकन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र जमा करने के उपरान्त निविदा शर्तो की जानकारी न होने विषयक कोई भी तर्क स्वीकार नही किया जायेगा।
10. निविदादाता, सम्बन्धित निविदा की दरें उस समय सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों यथा– जी0एस0टी0 आदि सहित ही दी जायेगी। निविदादाता निविदा प्रपत्र के उपुर्यक्त कॉलम मे निविदा की धनराशि, जो कि सामग्री के आईटम की अनुसूची मे वर्णित हो, सूचित करेंगे।
11. यदि किसी निविदादाता द्वारा अंको व शब्दों मे पृथक–पृथक धनराशि स्वीकृत की जाती है तो ऐसी स्थिति मे दोनो मे से जो न्यून हो, वह दर निविदादाता पर लागू समझी जायेगी।

12. निविदा प्रपत्र की कीमत किसी भी प्रकार से न तो वापस की जायेगी और न ही किसी दूसरी निविदा प्रपत्र के विरूद्व समायोजित की जायेगी एंव सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
13. किसी निविदा प्रपत्र में किये गये संशोधनों को निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना आवश्यक होगा।
14. निविदादाता को निविदा में अपना पूरा नाम, पता, पिता का नाम, दूरभाष संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। भविष्य में दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेशित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तरादायी नहीं होगा।
15. निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगीं।
16. कार्यादेश किसी अन्य ठेकेदार/पार्टी/संस्था के नाम पर स्थानान्तरित नही किया जायेगा।
17. फर्म द्वारा दी गई निविदा में दी गई न्यूनतम दरें कम से कम 90 दिन के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार होगा कि उक्त अवधि में निविदादाता को अनुबन्ध के लिए किसी भी समय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सके।
18. प्रत्येक स्वीकृत निविदा हेतु निविदादाता को निविदा में अंकित पते पर निविदा स्वीकृत की सूचना कार्यादेश के रूप में प्रेषित की जायेगी। ऐसे पत्र में निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर निविदादाता को रू0 100 के नाम ज्यूडिसिएल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेंट) निष्पादित करना होगा तथा ऐसा न करने पर उसके निविदा की स्वीकृति को समाप्त समझा जायेगा व जमा निविदा प्रतिभूति को वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में अपहृत कर लिया जायेगा।
19. सफल निविदादाता, जिसके पक्ष मे निविदा दी गई हो, को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते समय निर्धारित कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) संविदा के मूल्य की 5 से 10 प्रतिशत तक की धनराशि, जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के नाम बन्धक होगी, जैसा स्वीकृर्ता अधिकारी को उचित लगे, वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउन्ट पेई) डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी आदि के रूप में जमा करनी होगी।
20. समय से अनुबन्ध हस्ताक्षरित न करने अथवा बन्धक धनराशि जमा न करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को अधिकार होगा कि वह निविदा प्रतिभूति अथवा बन्धक धनराशि को जब्त कर लें। साथ ही वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त कार्य को दूसरे निविदादाता को आवंटित कर सकेगें (जिनके द्वारा अगली निम्न निविदा दी गयी है) तथा इसके अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति मूल निविदादाता से की जायेगी। सरकार को इस प्रकार होने वाली क्षति को भू-राजस्व के रूप में वसूली की जा सकेगी।
21. कार्यपूर्ति धरोहर निविदादाताओं के निविदा से सम्बन्धित सभी दायित्वों को, जिनमे वारन्टी सम्बन्धी दायित्व सम्मिलित हैं, कार्य पूर्ण करने की अवधि से 90 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है।
22. सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा प्रतिभूति वापिस कर दी जायेगी।
23. असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिभूति उसकी अन्तिम वैधता अवधि की समाप्ति पर यथाशीघ्र, परन्तु सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा संविदा करने के उपरान्त 30 दिन के अर्न्तगत ही सम्बन्धित निविदादाताओं को लौटा दी जायेगी।
24. निविदा देने के उपरान्त कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस हेतु निविदादाता को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
25. निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य का अनुमान व पूर्ण जानकारी अधोहस्ताक्षरी व वन संरक्षक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
26. यदि व्यय अनुमान के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के किया गया तो उसका भुगतान करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।
27. कार्यादेश में दी गयी अवधि में आपूर्ति पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिदिन विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार वन संरक्षक के पास सुरक्षित होगा।
28. सामग्री का भुगतान सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के पश्चात संतोशजनक होने पर ही किया जायेगा।

29. सामग्री का निरीक्षण, क्षेत्रीय वन रक्षक/वन दरोगा/वन क्षेत्राधिकारी से लेकर उच्चाधिकारी तक कर सकते हैं। सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक न होने पर फर्म को स्वयं के व्यय पर पुनः आपूर्ति करना होगा अन्यथा उसका अनुबन्ध निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त/अपहृत कर ली जायेगी, साथ ही फर्म को ब्लेक–लिस्टेड भी किया जा सकता है।
30. फर्म का उत्तरदायित्व होगा कि वह आपूर्ति करने हेतु ऐसे श्रमिकों की सेवा लेंगें जो किसी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त न रहा हो, अन्यथा की स्थिति मे समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
31. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को यह अधिकार होगा कि सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित सामग्री की मात्रा को कम या अधिक कर सकते हैं तथा यह निर्णय निविदादाता पर बाध्यकारी होगा।
32. अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाया वसूली अवशेश रह जाती है तो उसके भुगतान हेतु संबंधित फर्म बाध्य होगी।
33. फर्म को भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, कॉन्ट्रेक्ट लेबर (Abolition) अधिनियम 1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
34. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एंव यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
35. **यह ई–निविदा एवं ई–निविदा से सम्बन्धित कार्यादेश पूर्णतः बजट उपलब्धता/उच्च स्तर से टेण्डर अनुमोदन एवं वांछित स्वीकृतियों के अधीन होगी।**
36. विभागीय हित मे राजकीय कार्यो के सम्पादन हेतु अन्य यथोचित शर्तें, जो आवश्यक होगी वो सफल निविदादाता को मान्य होगी।
37. उक्त कार्य निर्धारित अवधि मे पूर्ण न करने पर अर्थदण्ड का प्राविधान होगा, जिसे कि सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा, जिस पर फर्म कोई आपत्ति नहीं होगी।
38. टेण्डर/कार्य पर किसी भी विवाद की स्थिति मे वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा, तथा विवाद क्षेत्र जनपद टिहरी गढ़वाल होगा।
39. खाली टिनों की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुसार होना चाहिए।
40. निविदादाता अथवा निविदादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को निविदा खोलते समय उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।
41. यदि कोई निविदादाता/फर्म शून्य (निल चार्जेज) शुल्क अंकित करता है, तो वह निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन/फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – 1705 /10–6, दिनांक, मुनिकीरेती 17 / 02 /2023,।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सेल उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक, गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड। ।
6. समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समिति के सदस्य।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

Undertaking

Having read all the mentioned terms and conditions including Schedule of Work and Specification carefully and having agreed to them fully and unconditionally my financial bid is submitted as above.

Dated. Signature of the Firm/Supplier

Place:-

टेण्डर फार्म

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय– टेण्डर बावत ....

सन्दर्भ – आपकी विज्ञप्ति संख्या .... दिनांक ....

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ मे मांगी गयी ई–निविदा के क्रम में मेरे द्वारा निम्न दर दी जाती है **(सामग्री की कीमत व देय टैक्सों का विवरण अलग–अलग दिया जाये)–**

सामग्री का नाम ....

सामग्री इकाई प्रति नग

प्रति सामग्री की कीमत ....

सामग्री कीमत पर देय टैक्स का विवरण ....

सामग्री मूल्य मय समस्त टैक्स ....

यदि कोई निविदादाता/फर्म, शून्य (निल चार्जेज) शुल्क अंकित करता है, तो वह निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उक्त ई–निविदा से सम्बन्धित सभी नियम–शर्तो का भली–भांति अध्ययन कर लिया गया है।

दिनांक – निविदादाता के हस्ताक्षर व नाम

स्थान – पता ....

फर्म की मोहर

Appendix-I

Proforma for Technical Bid

1	**Bidder Details**	
a	Name of firm/ Supplier	
b	Address of the firm/Supplier	
c	Name of Proprietor/owner/Director	
d	Contact no. 1	
e	Contact no. 2	
f	Email	
g	Website, if any	
h	GST No.	
i	PAN No.	
j	Name of authorized signatory	
2	**EMD Details**	
a	Amount	
b	Issuing Bank	
c	No. of EMD	
d	Date of Issue	

नोट– उपरोक्त प्रपत्र ई–निविदा के साथ पूर्ण रूप से भरकर तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

Seal and Signature
Authorized signatory of firm/supplier